

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर
305002
ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in



By speed post/Email
Show Cause Notice
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-
2695202

संख्या: **File No.: MCDR-MiFLOLST/8/2022-AJM-IBM_RO_AJM**

दिनांक : 30-12-2024

प्रेषित: Unit Head

Rajshri II lime stone

Gotan Merta city ,

Dist : Nagaur(Rajasthan)

E-mail: gopi.dhayaal@adityabirla.com, narender.s@adityabirla.com, alok.nigam@adityabirla.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Rajshri II Limestone Mines over an area 400.70 Ha.in Nagaur district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Nishant Kumar Rao, SrACOM on 04/12/24 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 45(7)	In annual return 2023-24 following discrepancies were observed: - PMCP Kmz file attached is not having all feature . In Part II A :Capital structure : Land cost for during year given as rs 1271439 but there is no land acquisition was done during year . In part VI at serial no. 5 Sales -Dispatched effected for Domestic purpose and for export ,value of cement being shown as Zero.

02. इससंदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समझौते की सिफारिश की जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

एन. के. राव
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ .

- 1 खाननियंत्रक (उत्तर), भारतीय खानब्यूरो, उदयपुर, ईमेल द्वारा ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंताए खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोटन, नागौर ।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो